राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 1708/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
नरेन्द्र कुमार शर्मा गंगाधर राव की गली] गैटोर रोड] ब्रहमपुरी] जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 09-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री लेखाराम मीणा, उप निदेशक उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06-07-2017 के द्वारा निदेशक कोष एवं लेखा, राज- के आदेश दिनांक 04-07-2017 के द्वारा आवेदक का स्थानान्तरण किया गया जिसके संबंध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना शुल्क जमा कराने के बाद आधी-अधुरी एवं बिना हस्ताक्षरों के उपलब्ध कराई है। पूर्ण सूचना हस्ताक्षरयुक्त दिलाने की मांग की गई। प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी से सूचना के बाबत पत्र दिनांक 27-07-2017 से 32 रूपये की मांग की गई है। पत्र दिनांक 23-08-2017 से 6 पृष्ठ की सूचना प्रेषित की गई तथा पत्र दिनांक 12-09-2017 से सूचना उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी के द्वारा 10 रूपये जमा कराये थे जिससे संबंधित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है। प्रथम अपील पेश करने पर विभाग द्वारा निर्णय दिनांक 20-09-2017 से निस्तारित की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 27-

07-2017, 23-08-2017, 12-09-2017, 11-09-2017 प्रथम अपील निर्णय दिनांक 20-09-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी का कहना है कि प्रत्यर्थी के द्वारा भेजी गई सूचना हस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना को कार्यालय में पेश करने पर उसे अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त